

L-25012(11)/15/2023-LM  
National Mission for Clean Ganga  
Department of WR, RD&GR  
Ministry of Jal Shakti

Major Dhyanchand National Stadium  
Near India Gate, New Delhi  
Date: 22.02. 2024

Subject: -Status Report in the matter of OA O.A No.372/2023 - Uday Raj Singh Versus State of Uttarakand

Sir,

This is with reference to the above matter before the Hon'ble NGT. The status report is attached herewith. The same may kindly be placed before the Hon'ble NGT for consideration.

2. This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above

Your faithfully

Anup Kumar Srivastava  
Executive Director (Tech)

To  
The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal(PB), Copernicus Marg, New Delhi

Copy for information to:

- (1) PPS to the Secretary, DoWR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
- (2) PS to the DG, NMCG

**NATIONALMISSION FOR CLEAN GANGA**

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA  
IN THE MATTER OF O.A No.372/2023 - UDAY RAJ SINGH VERSUS STATE OF  
UTTARAKAND

The above OA inter-alia involves the allegations that in the execution of Master Plan of Badrinath Dham, muck is being directly discharged in river, causing pollution of river Alaknanda, a principal tributary of River Ganga. The Badridham Master Plan, Chamoli is allegedly being executed by M/s. Gawar Construction Limited.

2. That in terms of the order/directions passed by the Hon'ble NGT, a report was sought by the NMCG on 09.01.2024 from the Project Director SMCG (Uttarakhand) and the District Magistrate Chamoli in the matter.

3. The District Magistrate Chamoli vide letter dated 17.02.2024 has submitted the status report. It is inter-alia informed that the matter was taken up with the Executive Engineer /Project Director PWD Badrinath and the report inter-alia conveyed that no debris/construction material is being dumped in river Alaknanda or its tributaries during the execution of the Badrinath Master Plan. It is further stated in the report that the River Front Development (RFD) work is also undergoing in the area. To strengthen the construction, wall about 17000 cu m earth /boulders are needed and the earth removed from digging of the foundation work is stored nearby for utilization in the construction wall of the RFD. The report from the Tehsildar Joshimath on the matter is also attached with the report of the District Magistrate Chamoli .

4. The Report dated 17.02.2024 received from the District Magistrate Chamoli is attached for consideration

Anup Kumar Srivastava  
Executive Director(Tech)

अतिआवश्यक/कोर्ट मैटर/ई-मेल/पंजीकृत

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
चमोली।

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक, (तकनीकी)  
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,  
भारत सरकार प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द्र नेशनल स्टेडियम,  
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

संख्या: 2455/चौतीस-मा0प्लान (2022-23) दिनांक: गोपेश्वर: दिनांक 17 फरवरी, 2024

**विषय— In the matter of OA no 372/2023 -Uday Raj Singh VS State of Uttarakhand before the Honble NGT (PB) -Request for report in the matter.**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या- L-25012(11)/15/2023-LME NMCG-NMCG दिनांक 09.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त सन्दर्भित पत्र में जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 एनजीटी ने श्री उदय राज सिंह, तत्कालीन कार्यक्रम निदेशक एसपीएमजी, उत्तराखण्ड द्वारा मा0एनजीटी को सम्बोधित दिनांक 26.02.2023 के एक पत्र के आधार पर संज्ञान लिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करते हुए, गंदगी को सीधे नदी में बहाया जा रहा है, जिसमें अलकनंदा नदी जो नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, प्रदूषित हो रही है। दिनांक 04.01.2024 की सुनवाई में मा0 एनजीटी ने MoJS को छः सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। क्योंकि मामले में दिनांक 04.03.2024 को मा0 एनजीटी के समक्ष अगली सुनवाई की जायेगी। जिसमें उप जिलाधिकारी, जोशीमठ से जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी जोशीमठ से प्राप्त आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।  
संलग्न- यथोपरि।

**प्रतिलिपि—** श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, चमोली को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

*Asha Rani*  
17-02-2024  
( आशा रानी )  
प्रमारी अधिकारी,  
कृते-जिलाधिकारी चमोली।

प्रेषक,

8

उप जिलाधिकारी,  
जोशीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चमोली।

संख्या 07 / सीडर-विषय 2023-2024 दिनांक जोशीमठ 17 फरवरी, 2024

विषय- In the matter of OA no 372/2023 Uday raj singh VS State of Uttrakhand before the Honourable NGT (PB) request for report in the matter.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय के पत्र संख्या-1828(1)/ चौतीस- मास्टर प्लान / 2022-23 दिनांक 06 फरवरी 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस क्रम में अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ, मुख्यालय जोशीमठ एवं तहसीलदार जोशीमठ से आख्या प्राप्त की गई। अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ, मुख्यालय जोशीमठ ने अपनी आख्या पत्रांक 02/1 सी0 कैम्प (बद्रीनाथ) दिनांक 16.02.2024 में उल्लेख किया है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत चल रहे किसी भी कार्य का मलवा अलकनन्दा या अन्य सहायक नदी/नाले में प्रभावित नहीं किया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत रिवर फ्रंट निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है जिसमें दीवार निर्माण के उपरान्त, दीवार के पीछे भरान हेतु लगभग 17000 घन मीटर मिट्टी/बोल्डर की आवश्यकता है। इस कारण रिवर फ्रंट निर्माण हेतु नीव खुदाई से निकले मलवे को नदी के किनारे कार्यस्थल पर ही संग्रहित किया गया है, जिसको दीवार निर्माण के उपरान्त भरान में प्रयोग किया जाएगा, जिसकी आख्या उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे, देहरादून उत्तराखण्ड को प्रेषित की जा चुकी है। अतः इस प्रकार श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मलवा अलकनन्दा नदी या अन्य किसी सहायक नदी में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है।

तहसीलदार जोशीमठ ने अपनी आख्या दिनांक 16.02.2024 में उल्लेख किया है कि पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ, मुख्यालय जोशीमठ के अधिकारियों से वार्ता एवं स्थलीय निरीक्षण करने उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत चल रहे किसी भी कार्य का मलवा अलकनन्दा या अन्य सहायक नदी/नाले में नहीं डाला जा रहा है। रिवर फ्रंट निर्माण हेतु नीव खुदाई से निकले मलवे को नदी के किनारे कार्यस्थल पर ही कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित किया जा रहा है, जिसको कार्यदायी संस्था द्वारा दीवार निर्माण के उपरान्त भरान में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ, मुख्यालय जोशीमठ तहसीलदार जोशीमठ से प्राप्त आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

  
उप जिलाधिकारी,  
जोशीमठ

उप जिलाधिकारी,  
जोशीमठ।

द्वारा

तहसीलदार महोदय,

विषय-

In the matter of OA no 372/2023 Uday raj singh VS State of Uttrakhand before the Honourable NGT (PB) request for report in the matter.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय के पत्र संख्या-1828(1)/ चौतीस- मास्टर प्लान/ 2022-23 दिनांक 06 फरवरी 2023 के कम में प्रश्नगत प्रकरण में आख्या निम्नवत् है:-

इस कम में, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्दीनाथ, मुख्यालय जोशीमठ के अधिकारियों से वार्ता एवं स्थलीय निरीक्षण करने उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बद्दीनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत चल रहे किसी भी कार्य का मलवा अलकनन्दा या अन्य सहायक नदी/नाले में नहीं डाला जा रहा है। रिवर फ्रन्ट निर्माण हेतु नीव खुदाई से निकले मलवे को नदी के किनारे कार्यस्थल पर ही कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित किया जा रहा है, जिसको कार्यदायी संस्था द्वारा दीवार निर्माण के उपरान्त भरण में प्रयोग किये जाने की बात कही गयी है,

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में आख्या प्रेषित की जा रही है।

*manmohan*  
16/02/24  
राजस्व उप निरीक्षक,  
पाण्डुकेश्वर।

महोदय,

रा. उ. नि. पाण्डुकेश्वर  
की रिपोर्ट सेवा ले  
साक्षर प्रेषित।

①  
16/02/24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक  
पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ (मुख्यालय-जोशीमठ)

Office of The Executive Engineer, P.I.U., P.W.D. Badrinath (HQ. Joshimath)

E-mail:- piupwdbadrinath@gmail.com

क 02 / 1सी. कैम्प (बद्रीनाथ)

दिनांक 16 / 02 / 2024

उप जिलाधिकारी,  
जोशीमठ।

**विषय-** In the matter of OA no 372/2023 Uday raj singh VS State of Uttrakhand before the Honourable NGT (PB) request for report In the matter.

**सन्दर्भ-** आपका कार्यालय पत्रांक 874 / रीडर-विविध / 2023-2024 दिनांक गोपेश्वर 16 फरवरी 2024 एवं सहायक अभियन्ता पी.आई.यू. बद्रीनाथ का पत्रांक संख्या 89 / 1सी. कैम्प (बद्रीनाथ) दिनांक 08.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत चल रहे किसी भी कार्य का मलवा अलकनन्दा या अन्य किसी सहायक नदी/नाले में प्रभावित नहीं किया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत रिवर फ्रन्ट निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें दीवार निर्माण के उपरान्त, दीवार के पीछे भरान हेतु लगभग 17000 घन मीटर मिट्टी/बोल्डर की आवश्यकता है। इस कारण रिवर फ्रन्ट निर्माण हेतु नीव खुदाई से निकले मलवे को नदी के किनारे कार्यस्थल पर ही संग्रहित किया गया है, जिसको दीवार निर्माण के उपरान्त भरान में प्रयोग किया जायेगा, जिसकी आख्या उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप, नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः इस प्रकार श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मलवा अलकनन्दा या अन्य किसी सहायक नदी में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है।

आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न- पूर्व में प्रेषित पत्र।

परियोजना प्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता  
पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ  
(मुख्यालय-जोशीमठ)।

पत्रांक / 1सी. कैम्प (बद्रीनाथ) तददिनांकित।  
प्रतिलिपि- मुख्य परियोजना प्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता सातवाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना प्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता  
पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ  
(मुख्यालय-जोशीमठ)।

कार्यालय सहायक अभियन्ता

पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ (मुख्यालय-जोशीमठ)

Office of The Assistant Engineer, P.I.U., P.W.D. Badrinath (H.O. Joshimath)

E-mail:- piopwdbadrinath@gmail.com

क्र 89/1सी. कौम्य (बद्रीनाथ)

दिनांक 08/06/2023

कार्यक्रम निदेशक,  
राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप,  
नमामि गंगे,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान से गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।

आपका कार्यालय पत्रांक 891/SPMG/Namani Gange/Grievance दिनांक 17.11.2022।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत चल रहे किसी भी कार्य का मलवा अलकनन्दा या अन्य किसी सहायक नदी/नाले में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत रिवर फ्रन्ट निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें दीवार निर्माण के उपरान्त, दीवार के पीछे भरण हेतु लगभग 17000 घन मीटर मिट्टी/बोल्डर की आवश्यकता है। इस कारण रिवर फ्रन्ट निर्माण हेतु नीव खुदाई से निकले मलबे को नदी किनारे कार्यस्थल पर ही संग्रहित किया गया है, जिसको दीवार निर्माण के उपरान्त भरण में प्रयोग किया जायेगा।

अतः इस प्रकार श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मलवा अलकनन्दा या अन्य किसी सहायक नदी में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता

पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ  
(मुख्यालय-जोशीमठ)।

- प्रतिलिपि- मुख्य परियोजना प्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता महोदय सातवाँ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- परियोजना प्रबन्धक/अधिशारी अभियन्ता महोदय पी.आई.यू., बद्रीनाथ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- मैसर्स गौवर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, डी.एस.एस. 378 सेक्टर 16-17 हिसार, 125005, हरियाणा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता  
पी.आई.यू., लो.नि.वि., बद्रीनाथ  
(मुख्यालय-जोशीमठ)।

F. No L-25012(11)/15/2023-LME NMCG-NMCG  
 National Mission for Clean Ganga  
 Department of WR, RD&GR  
 Ministry of Jal Shakti

Major Dhyanchand National Stadium  
 Near India Gate, New Delhi  
 Date: 09.01.2024

*Handwritten:* M. 12/21/24, LBCI / AL.C. II, 30 A, 33/5/11, 24.01.24, 34.1.24, 10/12/21, 21/1

**Subject:** In the matter of OA no 372/2023- Uday Raj Singh Vs State of Uttarakhand before the Hon'ble NGT(PB)- Request for report in the matter.

**Ref:** Hon'ble NGT Order dated 04.01.2024 (copy enclosed)

In the above subject matter, the Hon'ble NGT, has taken cognizance, based on a letter dated 26.02.2023, addressed by Shri Uday Raj Singh, the then Programme Director, SPMG, Uttarakhand, to the Hon'ble NGT, inter-alia, stating that while executing the Master Plan of Badrinath Dham, muck is being directly discharged in river, causing pollution of river Alaknanda, a principal tributary of River Ganga.

2. In its hearing dated 04.01.2024, Hon'ble NGT has directed the MoJS to file its reply within six weeks' time.

3. Since an early action is required in the matter, a detailed report/current status in the matter may please be submitted to NMCG preferably within 15 days. Kindly note that the matter is due for next hearing before the Hon'ble NGT on 04.03.2024.

Enc: As Above

*Signature:* Anup Kumar Srivastava  
 09.01.2024  
 Executive Director (Tech)

To,

1. Project Director,  
State Mission for Clean Ganga  
117 Indira Nagar Dehradun 248001  
Uttarakhand
2. District Magistrate, Chamoli Uttarakhand  
District Ganga Committee

Copy to:

1. Chief Secretary, Government of Uttarakhand,  
Secretariat Dehradun (Uttarakhand)

Copy for information to:

PPS to the Secretary, DoWR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti  
 PS to the DG, NMCG.

Item No.09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.372/2023

Uday Raj Singh

Versus

Applicant

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 04.01.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Gigi. C. George, Adv. for Ministry of Jal Shakti (Through VC)

**ORDER**

1. Tribunal on 12.10.2023 had issued fresh notice to the Ministry of Jal Shakti as in terms of the earlier direction of the Tribunal dated 29.05.2023, no response or action taken report was filed by Ministry of Jal Shakti.

2. Sh. Gigi. C. George, Learned Counsel Appearing for Ministry of Jal Shakti has sought six weeks' time to obtain instructions and file report in terms of the previous directions.

3. List on 04.03.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

January 04, 2024  
JG.

Item No. 34

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 372/2023

Uday Raj Singh

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 29.05.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

**Application is registered based on a complaint received by post/e-mail**

**ORDER**

1. This Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 has been registered on a letter petition dated 26.02.2023 received from Uday Raj Singh, Programme Director, State Program Management Group, Namami Gange, Uttarakhand, 117, Indira Nagar, Dehradun.

2. It is stated that in execution of Master Plan of Badrinath Dham, muck is being directly discharged in river, causing pollution of river Alaknanda, which is a principle tributary of River Ganga. Hence, the above pollution is ultimately causing huge pollution in River Ganga. In this regard, copies of two letters have also been placed on record which are both dated 17.11.2022 sent by Shri Uday Raj Singh, Programme Director to Assistant Engineer in the office of Assistant Project Manager/Assistant

Department, Ministry of Jal Shakti, Government of India, New Delhi, India, stating that despite of much in execution of Yamuna River Conservation Master Plan, the pollution is continuing and, therefore, appropriate action be taken and information be given to State Programme Management Group, Namami Gange, Uttarabhand but the response is that no further action has been taken in the matter.

3. From the documents on record, it appears that Yamuna River Conservation Master Plan is being executed by M/s. Ganga Construction Limited but concerned authorities have not taken any action in the matter. It is surprising that a Senior Officer of State Programme Management Group, Namami Gange, Uttarabhand himself has found it expedient to approach the Tribunal by filing a complaint with regard to river pollution in execution of Yamuna River Conservation Master Plan though, it is statutory responsibility of the authorities under Namami Gange Project to take all possible remedial steps for prevention of such pollution in River Ganga. It appears that even Senior Officers of the project authority are not finding themselves capable to take appropriate action and, therefore, this application has been filed.

4. In these facts and circumstances, we find no option, but to direct Ministry of Jal Shakti to submit its response and submit an action taken Report within two months.

5. A copy of this order be forwarded to Secretary, Ministry of Jal Shakti by e-mail for compliance.

6. List the matter on 02.08.2023.

Sudhir Agarwal, JM



to enclose herewith the letter no L-25012(11)/15/2023-LME NMCG-  
dated 09.01.2024 regarding In the matter of OA no 372/2023- Uday Raj  
State of Uttarakhand before the Hon'ble NGT(PB)- Request for report in  
matter

Regards

Do

अनूप कुमार श्रीवास्तव

कार्यकारी निदेशक, (तकनीकी)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली- 110002